

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक प.4(6)पपा/2017

जयपुर, दिनांक :-25.4.2017

आज्ञा

राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान पशुपालन सेवा के निम्नांकित संयुक्त निदेशकों को उनके नाम के समक्ष अंकित वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर अतिरिक्त निदेशक (पी.बी.-3-15600-39100 ग्रेड पे 8200/-) के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति दिनांक
1.	डा. रीटा पदमनाभन	सामान्य	2017-18	01.12.2017

उपरोक्त पदोन्नति एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11308/2015, डॉ० गोविन्द राम चौहान बनाम राज्य व अन्य तथा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18692/2012 डॉ० रामप्रकाश नायक बनाम सरकार एवं याचिका संख्या 15056/2016 डॉ० रेणु गोयल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की दिनांक से पदोन्नति के पात्र हैं। पदोन्नत अधिकारी के पदस्थापन आदेश जारी किये जाने के उपरान्त पदोन्नत राजसेवकों को नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से ही पदोन्नति का वास्तविक लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(एन० एल० गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग।
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक 4(9)पपा/2016

जयपुर, दिनांक 25.4.2017

आज्ञा


राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत गठित रिज्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान पशु पालन सेवा के निम्नांकित संयुक्त निदेशक (सामान्य) को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर अतिरिक्त निदेशक (सामान्य) के पद पर (वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड पे 8200/- में) पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वर्ग	वर्ष
1.	डा. सुशील कुमार रस्तोगी	सामान्य	2016-17

उपरोक्त पदोन्नति एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11308/2015, डॉ० गोविन्द राम चौहान बनाम राज्य व अन्य तथा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18692/2012 डॉ० रामप्रकाश नायक बनाम सरकार एवं याचिका संख्या 15056/2016 डॉ० रेणु गोयल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

पदोन्नत अधिकारी के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।


राज्यपाल की आज्ञा से,



(एन.एल.गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर
7. निजी/रक्षित पंजिका।



शासन उप सचिव